



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06102026-276832
CG-MH-E-06102026-276832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5143]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 5143]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 24 सितम्बर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 5350(अ).— केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपबंध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जिला पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेलवे कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रायगड (O) अलिबाग, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और

जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना - III के अंतर्गत पनवेल-कर्जत उपनगरीय रेल्वे कॉरिडोर हेतु रेल्वे अधिनियम 1989 एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 कलम 20 'ए' के अनुसार अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्व्हे नं	७/१२ अनुसार कुल क्षेत्र (हे आर)	संपादन क्षेत्र (हे आर)
१	बारव ई	शैलजा अनिल नाफडे	६३/१/अ/१	२५.३९.००	०.०७.०४
		पुष्पशील आनंद ओझे			
		स्मिता अरविंद करंबेळकर			
		अंजली रमेश गोंधळेकर			
		सुनीता काशिनाथ ओझे			
		शुभदा राजेंद्र जठार			
		संध्या दिलीप ओझे			
		प्रिया योगेश राँय			
		प्राची मंदार देवघर			
		मे. प्लासिड फार्म्स प्रा. लि. तर्फे डायरेक्टर जकरसीस केरसी वांद्रेवाला			
		मे. स्पार्टेक्स लॉजिस्टिक सोलुशन प्रा. लि.			
		रवींद्र भास्कर देशमुख			
		मकरंद भीमराव पाटील	६३/१३/१/अ	०.६०.७८	०.०१.८१
		गणता यदी रेड्डी	६३/१३/१/ब	०.३०.००	
		भारत सरकार मध्य रेल्वे	६३/१३/२	०.२८.३०	
			कुल क्षेत्र	२६.५८.०८ हे आर	०.०८.८५ हे आर

[फा. सं. G197/Panvel-Karjat/Barwai/MRVC/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2026

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5350(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 1989 (11 of 2008) and the Railways Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act). The Central Government after being satisfied that for public purposes, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution of Special Railway Projects, namely, for **Panvel-Karjat Suburban Railway** project in District Raigad in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of the notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Dy. Collector (Land Acquisition) Raigad (O) Alibaug, District Raigad, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, For Panvel-Karjat Suburban Railway Corridor project in Panvel taluka District Raigad in the State of Maharashtra.

Sl. No.	Village Name	Land Owners Name as per 7/12	Survey No.	Total Area as per 7/12 (Ha)	Area of Land to be Acquired (Ha)
1	Barwai	Shailaja Anil Naphade	63/1/A/1	25.39.00	0.07.04
		Pushpashil Anand Ozhe			
		Smita Arvind Karambelkar			
		Anjali Ramesh Gondhalekar			
		Sunita Kashinath Ozhe			
		Shubhada Rajendra Jathar			
		Sandhya Dilip Ozhe			
		Priya Yogesh Roy			
		Prachi Mandar Deoghar			
		M/s. Placid Farms Pvt. Ltd, represented by Director Zakarsis Kersi Vandrewala			
		M/s. Spartex Logistic Solutions Pvt. Ltd			
		Ravindra Bhaskar Deshmukh			
		Makarand Bhimrao Patil	63/13/1/A	0.60.78	0.01.81
		Ganata Yadi Reddy	63/13/1/B	0.30.00	
		Government of India Central Railway	63/13/2	0.28.30	
		Total Area		26.58.08 Ha	0.08.85 Ha

[F. No. G197/Panvel-Karjat/Barwai/MRVC/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)